रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-08052026-272309
CG-CG-E-08052026-272309

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2002] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2026/वैशाख 4, 1948
No. 2002] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2026/VAISAKHA 4, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)
अधिसूचना

बिलासपुर, 17 अप्रैल, 2026

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20 ई के तहत अधिसूचना

का.आ. 2075(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसें इसके पश्चात् (अ) उक्त अधिनियम कहा गया हैं) की धारा के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (II) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 1819 तारीख 24 अप्रैल 2025, 531 तारीख 05 फरवरी 2026 (जिसें इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना सें उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, विशेष रेल परियोजना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत झारसुगड़ा–रायगढ़, रायगढ़–चांपा, चांपा–बिलासपुर, तिल्दा–बिलासपुर, तिल्दा–दुर्ग, मुंडीकोटा–नागपुर, बिलासपुर–पेंड्रारोड–अनूपपुर, रायपुर–लखोली, दुर्ग-दारेकसा के मध्य में मौजूदा 1X25KV ट्रैक्शन सिस्टम को 3000 MT लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2X25KV एटी फीडर व्यवस्था में अपग्रेड करने हेतु ओडिशा, छत्तीसगढ़, महराष्ट्र. राज्य में निष्पादन के लिए अर्जित करने के अपने आषय की घोषणा की थी, और उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधिन 20क अधिसूचना का सार दैनिक समाचार पत्र नवभारत (हिन्दी), दैनिक भास्कर (हिन्दी), टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेज़ी) दिनांक 04-05-2025 एवम दावा (हिन्दी), दैनिक भास्कर (हिन्दी), हितवादा (अंग्रेज़ी) दिनांक 15.02.26 में प्रकाषित किया गया था, और निर्धारित समयावधि में एक आपत्ति प्राप्त हुई थी और उक्त अधिनियम की धारा 20 घ के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का निराकरण किया गया और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उप धारा(1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं, अतः अब केन्द्रीय सरकार सक्षम अधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ङ की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी, और यह कि केन्द्रीय सरकार

उक्त अधिनियम की धारा 20ङ के अनुसरण में यह घोषणा करती है इस अधिघोषणा के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यांतिक रूप सें निहित हो जाएगी।

जिला – बिलासपुर							राज्य – छत्तीसगढ़	
क्र. सं.	तहसील का नाम	सक्षम पदाधिकारी	गाँव का नाम	भूमि का स्वामित्व	भूमि की प्रकृति	भूमि की प्रकार	भूमि का खसरा क्र.	भू अर्जन हेतु भूमि का प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे०)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	बेलगहना	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा, जिला – बिलासपुर	करहीकछार	प्रदीप कुमार, पिता ताराचंद पालक	कृषि	निजी	1/128	0.64
							TOTAL	**0.64**

		जिला – राजनंदगाँव				राज्य – छत्तीसगढ़		
क्र, सं.	तहसील का नाम	सक्षम पदाधिकारी	ग्राम का नाम	भू स्वामी का नाम	किस्म	खसरा संख्या	कुल क्षेत्रफल (हे० में)	अर्जित क्षेत्रफल (हे० में)
(1)	(3)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	डोंगरगढ़	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ जिला- राजनंदगाँव	मुसराखुर्द	शत्रुहन आत्मज रामअवतार	कृषि	289/1 290	0.3120 0.271	0.3120 0.0610
							योग	**0.3730**

[फा. सं. सीपीएम/इले/बीएसपी/2x25 के.वी. ओ.एच.ई/भूमि अधि./20 E/2019]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 17th April, 2026

Notification Under Section 20 E of the Railway Act 1989

S.O. 2075(E).—Whereas by the notification of the Government of India, In the Ministry of Railways (Railway Board) number 1819, dated the 24 April, 2025, 531 dated 05 Febuary 2026 published in the Gazzette of India (Extra-Ordinary) Part-II section 3 sub section (ii), hereinafter referred to as the said notification) under subsection (1) of 20A of the railway act,1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act),the central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution of Special Railway Project, namely for Up-gradation of existing 1x25KV Traction System to 2x25KV OHE with AT feeder arrangement between Jharsugda-Raigarh**,** Raigarh-Champa, Champa-Bilaspur, Tilda-Bilaspur, Tilda-

Durg, Mundikota-Nagpur, Bilaspur-Pendra Road-Anuppur, Raipur-Lakholi, Durg- Darekasa sections over SEC Railway to meet 3000MT loading target in the state of Odisha, Chhattisgarh, Maharashtra over SEC railway. And, whereas the substance of the said notification 20 A was published as per section 20A sub section (4) in the daily Newspapers Nav Bharat (Hindi), Dainik Bhaskar (Hindi), Times of India (English) on 04/05/2025, Dainik Bhaskar (Hindi), Dawa(Hindi), Hitvada (English) on 15/02/2026 and whereas, One objection was received within the set time period and disposed of by the Competent Authority under section 20D of the said Act; and, whereas, in pursuance of subsection (1) of section 20E of the said act, the Competent Authority has submitted his report to the central Government. Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub section (1) of the section 20E of the said act 1989, the central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose; and, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all Encumbrances.

District -Bilaspur				**State-Chhattisgarh**				
Sr. No.	**Competent Authority**	**name of Tahsil**	**Name of Village**	**Name of recorded Owner**	**Nature of land**	**Type of land**	**Khasra No.**	**Area to be acquired (in Hec.)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	SDM, Kota District-Bilaspur	Belgahna	Kadhikachhar	Pradeep Kumar S/o Tarachand Palak	Krishi	Nijj	1/128	0.64
						Total		**0.64**

	District – Rajnandgaon				**State - Chhattisgarh**			
S.No.	Competent Authority	Name of Tehsil	Name of Village	Nature of ownership	Nature of land	Land khasra no.	Total area (in Hec)	Area to be acquired (in Hec)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SDM(Rev) DGG (Distt-Rajnandgaon)	Dongargarh	Musrakhurd	Shatruhan Aatmaj Ramavtar	Krishi	289/1 290	0.3120 0.271	0.3120 0.0610
						Total		**0.3730**

[F. No. CPM/Ele. /BSP/2x25KV OHE/Land Acquisition/20 E /2019]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer/Con.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.05.08 14:53:49 +05'30'